भारत में स्थानीय स्वशासन : समस्याएं एवं निदान

डॉ0 जय कुमार सरोहा

एसो0 प्रोफे0,राजनीति विज्ञान विभाग, शंभूदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद

सारांश

एक सुखी समृद्ध एवं शक्तिशाली प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण न होने पाये ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया जाये जबकि दुनिया में विशालतम् लोकतांत्रिक राष्ट्र मृाना जाने वाला भारत सत्ता की विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के महारोग से ग्रस्त हो बेहाल होता जा रहा है तथा विदेशियों को भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की विकृति पर परिहास करने का अवसर प्रदान कर रहा है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण तो मात्र राजनैतिक ग्रंथों में पढ़ने–पढ़ाने का अनचाहा विषय बन कर रह गया है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में नागरिक के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु किसी को एक बार चुनकर सत्तासीन करने के उपरांत नागरिक पांच वर्षों तक उसे वापस बुला नहीं सकते। चुने गये जन प्रतिनिधियों एवं नौकर शाहों के हाथों से सत्ता छीनने उन्हें निलम्बित करने तथा उनके स्थान पर उपयुक्त विकल्प चुनने की व्यवस्था यद्यपि कि संविधान में है किन्तु वह सामान्य चुनाव की बनिस्बत अत्यंत कठिन है। यही कारण है कि जनता उनके कार्यकाल तक उन्हें झेलने के लिए विवश होती है। नागरिकों की इस विवशता का मूल कारण सत्ता शक्ति का केन्द्रीभूत होना है। पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त विष को काबू करने के लिए लोकतांत्रिक स्वरूप प्रायः लुप्त होता जा रहा है। अतः प्रशासनिक तनाव को समाप्त करना अत्यावश्यक है।

संकेत शब्द : *पंचायती राज अधिनियम पंच सरपंच आरक्षण चुनौतियाँ स्वशासन।*

शोधपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

डॉ0 जय कुमार सरोहा, "*भारत में स्थानीय स्वशासन समस्याएं एवं निदान*", RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 188-195

http://anubooks.com/?page_id=2004
Article No. 27(RP576)

प्रस्तावना :

लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई पंचायत है। स्थानीय शासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश स्वतंत्र होने से पहले ही इसकी कल्पना की थी या कह सकते हैं कि यह उनकी संकल्पना थी। पाँच व्यक्तियों की सभा एवं पंचायत हमारा बहुत प्राचीन और सुन्दर शब्द है। जिसके साथ प्राचीनता की मिठास जुड़ी हुई है। पाँचों पंच जब एक साथ कोई निर्णय देते थे तो यह परमेश्वर की आवाज मानी जाती थी। प्राचीन काल से ही भारत में पंचायातें को असीमित शक्तियाँ प्राप्त थीं। पंचायत हमारी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता, सुदृढ़ता और सुव्यवस्था तथा लोकतंत्र का रक्षा कवच है। किसी भी समुदाय, समाज व राष्ट्र की समृद्धि एवं उन्नति संस्थाओं के उन अन्तः तन्तुओं का प्रतिफल न होता है। जिनका प्रसार समाज होता है। पंचायत सर्वमान्य संस्था के रूप में प्राचीनकाल से ही भारतीय जन मानस में प्रतिष्ठित रही है। यदिइ हम भारतीय इतिहास में प्रजातंत्र के बीज देखना चाहें तो हमें इसके बीज ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। वैदिककाल में ग्राम से लेकर राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व की शासन व्यवस्था पंचायत पद्धति पर आधारित थी।

ऐहितासिक परिप्रेक्ष

भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व हैं लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब है जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय से ही स्थानीय शासन के महत्व को समझा जाने लगा था। प्रशासन की इकाई जिला स्थापित की गई थी एवं इसकी प्रशासन व्यवस्था जिलाधिकारी के अधीन थी। वर्ष 1882 में लार्ड रिपन के शासन के कार्यकाल में स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को सम्मिलित करने के कुछ प्रयास किए गये एवं जिला बोर्डों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा महत्व दिये जाने एवं ब्रिटिश शासन द्वारा लोगों को अपने प्रशासन में सम्मिलित करने के लिए 1930 एवं 1940 में अनेक प्रांतों में पंचायती राज संबंधी कानून बनाये गये। गौरतलब है कि संविधान क प्रथम प्रारूप में पंचायती राज व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। गांधी जी के दवाब के परिणामस्वरूप इसे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गयां

पहले स्थानीय स्वायत शासन में स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें स्थानीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरे स्थानीय संस्थाएँ लोगों की राजनीतिक समझ को परिपक्त बनाती है अर्थात् लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और अपने आस पास हो रही घटनाओं पर ध्यान देते हैं। तीसरे, सत्ता का विकेन्द्रीकरण तभी संभव है जब स्थानीय संस्थाएँ निचले स्तर पर विद्यमान हों। क्योंकि केन्द्र या राज्य सरकार के लिए सुदूर गांव की समस्या का तत्काल हल निकालना संभव नहीं होता है। अतः स्थानीय समस्या का निदान वहीं के लोगों द्वारा सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। चौथे एवं सबसे महत्वपूर्ण तथ्य किए यदि स्थानीय संस्थाएँ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित हैं तो स्थानीय लोगों में राजनीतिक चेतना तथा समझ का विकास देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप को मजबूत बनाता है।

संवैधानिक उपबंध

24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान 73वाँ संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल कराया गया और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।

73वें संशोधन अधिनियम, 1993 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :

- एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत
- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना
- हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव
- अनुसूचित जातियों–जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण
- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
- पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन
- राज्य चुनाव आयोग का गठन
- 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियाँ और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं।
- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और उनका निष्पादन करना
- कर, डयूटी, टॉल, शुलक आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार
- राज्यों द्वारा एकत्र करों, डयूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण ग्राम सभा, संपादित करें।
- ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है।
- गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केन्द्र में होती है। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, अधिनियम, 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियाँ प्रदान करें।
- गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान शामिल करना।
- पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो।

- ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों जैसे सीमांतीकृत समूह भाग ले सकें।
- ग्राम सभा के लिए ऐसी कार्य प्रक्रियाएँ बनाना जिनके द्वारा वह ग्राम विकास मंत्रालय के लाभार्थी, उन्मुख विकास कार्यक्रमों का असरकारी ढंग से सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कर सके तथा वित्तीय कुप्रबंधन के लिए वसूली या सजा देने के कानूनी अधिकार उसे प्राप्त हो सकें।
- ग्राम सभा बैठकों के संबंध में व्यापक प्रसार के ऐिल कार्य–योजना बनाना।
- ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए मार्ग–निर्देश कार्य–प्रक्रियाएँ तैयार करना।
- प्राकृतिक संसाधानों, भूमि रिकार्डों पर नियंत्रण और समस्या–समाधान के संबंध में ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम स्तर पर स्वशासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायातों की परिकल्पना करता है जो निम्न कार्य करने में सक्षम हो।
- ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यों और उनके रख–रखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना।
- ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति, आधाअिरत भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निबटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे होंगे।
- 73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो।

पंचायती राज की बाधाएँ

पंचायती राज में विकेन्द्रीकरण के माध्यम से विकास की गति में वृद्धि होगी, परियोजनाएँ शीघ्र पूरी होंगीं और लोगों की विकास कार्यों में भाग लेने की चेतना में वृद्धि होगी, परन्तु इसके साथ ही कुछ संभावित त्रुटियाँ भी इस व्यवस्था के अंतर्गत निहित हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया हैए वह केंद्र को कमजोर बना सकती है। जातिए धर्मए वर्ण और लिगं की उपेक्षा करके यह समाज के सभी वगों की समानता के आधार पर सामाजिकए आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने की प्रक्रिया में बाधा बन सकती है।
2. इस व्यवस्था में राष्ट्र की एकता व अखंडता के लक्ष्य की उपलब्धि के मार्ग में भी बाधाएं आ सकती हैं। एक तो पहले से ही अलगाववादी और उग्रवादी शक्तियां देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैंए ऊपर से इन व्यवस्थाओं द्वारा भी इसका हन्न किया जा रहा है। इन आतंकवादी शक्तियों ने राष्ट्रवाद के सूत्रों को भी कमजोर किया है।

3. पर्व में हम यह अनुभव कर चुके हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ स्थानीय संगठनों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों मेंए इसे रोक पाना बहुत कठिन काम है। हमारे देश में मुद्रा व शक्ति का जो दुरूपयोग किया जा रहा हैए उसे पंचाती राज की सफलता हेतु रोकना होगा।
4. यह प्रक्रिया राज्य के अल्पसंख्यकों के संरक्षण में बाधा बन सकती है। यद्यपिए सभी राजनैतिक दल अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं तथापि कई ऐसे अन्य कारण हैं जो उन्हें ऐसा करने से वंचित कर सकते हैं। परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि प्रशासन तंत्र निम्न स्तर के लोगों को दबाए रखने की क्षमता रखता है।
5. इन व्यवस्थाओं के तहत अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सौहार्दपूर्ण बना पाना बहुत मुश्किल काम होगा। दोनों के बीच कटु संबंधों के कारण कई स्थानों पर विकेंद्रित संस्थाओं के निष्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन आधारभूत समस्याओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमें प्रतिक्रियावादी तत्वों पर प्रतिबंध तथा समुचित वातावरण की सरंचना हेतु कदम उठाना आवश्यक है। इन तथ्यों से सभी परिचित हैं कि चुनाव दो पगकार के कार्य करते हैं एक तो वे ग्रामीण जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यों की जानकारी देते हैं तथा दूसरा वे जनता के चुनाव में भाग लेने से होने वाले विकास के महत्व की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद चुनाव आयोजित करने की संवैधानिक दायित्व से भी पंचायती राज व्यवस्था की सफलता को बल मिलेगा। नियमित चुनाव भी नेताओं को अधिक उत्तरदायी बनाने में सहायक होगा।

राजनैतिक तथा अन्य कारणों से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिस्थापन पर प्रतिबंध हेतु कड़े नियम बनाने होंगे। यदि राजनीतिक दन पंचायती राज व्यवस्था को अपनी गंदी राजनीति से दूर ही रखेंए तो यह राष्ट्र के हित के हित में होगा। जातिए धर्म और मुद्रा शक्ति पर आधारित वर्तमान ढांचे को उखाड़ने के लिए एक सामाजिक क्रांति का होना अति आवश्यक है। महात्मा गांधी के अनुसार स्वतंत्रता और स्वायत्तत का मूल्य केवल राजनैतिक विकेंद्रिकरण से ही प्राप्त नहीं किया जा सकताए बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी विकेंद्रीकरण अनिवार्य अनिवार्य है। तद्रुसार राजनैतिक तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण एक,दूसरे से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त राजनैतिक कार्यकर्ताओं से उन्होंने सदैव सृजनात्मक कार्यों के माध्यम से लोकतंत्र की नींव तैयार करने की अपील की।

समाज कल्याण तथा आर्थिक विकास के उद्देश्य से गठित लोकतांत्रिक ढांचे से लोगों की कई प्रकार की आशांए होती हैं। बढ़ती आशाएं प्रशासन में लोगों की भागीदारी के लिए यथार्थवादी एवं प्रभावशाली नीतियों की मांग करती हैं। राजनैतिक स्वतंत्रता तथा नीतिगत उद्घोषणाओं से उठी चुनौतियों और आकांक्षाओं के लिए अंतर्मन से किए जाने वाले प्रयासों की आवश्यकता है। लोक कार्यो का प्रबन्ध लोकतांत्रिक होना चाहिए। निम्न स्तर पर लोगों के प्रतिनिधियों से लेकर उच्च स्तर तक दायित्वों का विकेंद्रीकरण व स्थानीय स्वायत्तता आवश्यक है। यहाँ द्रष्टव्य है कि भारत की संस्कृति भाषा आदि की अनेकता इस कार्य को कुछ अधिक जटिल बना देती है।

अंततः हम यह आशा करते हैं कि निचले स्तर पर जिस लोकतंत्र की व्यवस्था की गयी है

वह कई राज्यों के ग्रामीण नागरिकों में जागृति लाने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाएगी। निर्बाध गति से चल रहे है। इस लोकतंत्र में किसी प्रकार का कोई क्रांतिकारी परिवर्तन सम्भव नहीं है। किन्तु बेहतर भविष्य के लिए यह परिवर्तन का वाहक अवश्य सिद्ध हो सकता है।

पंचायती राज व्यवस्था की अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाने हेतु सुझाव

1. पंचायती राज व्यवस्था की और अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाने तथा प्रोत्साहित करने हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम सभा को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए तथा उसकी कार्यवाही का संचालन जन भावनाओं के अनुसार किया जाए। ग्रामीण जीवन कको प्रभावित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्राम सभा में विचार विमर्श होना चाहिए। ग्राम सभा द्वारा विचार किए जाने योग्य विषयों के अंतर्गत पंचायत का बजट पंचायत का बजट पंचायत के कार्यों का विवरण योजनाओं की प्रगति ऋण एवं अनुदानों का उपयोग स्कूल एवं सहकारी समितियों कि व्यवस्थाएँ लेखा परिक्षण की रिपोर्ट आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए।
2. पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के पास अपने स्वयं के साधन विकसित किए जाने चाहिए ताकि वे अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करके अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विवेकानुसार कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाले अनुदानों में वृद्धि की जानी चाहिए। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं कको ब्याज रहित भारी ऋण देकर स्वयं के लाभदायक व्यवसाय चलाने हेतु अनुप्रेरित किया जाना चाहिए। कर वसूल करने वाली मशीनरी को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।
3. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन नियत समय पर सम्पन्न कराए जाने चाहिए।
4. पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिका अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।
5. नियम एवं कार्यवाहियां सुगम बनाई जानी चाहिए। नियम इस प्रकार के होने चाहिए जिन्हे साधारण व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सके।
6. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा इन संस्थाओं के चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर होने चाहिए।
7. पंचायती राज संस्थाओं को अकारण ही समायावधि से पूर्व ही भंग करने की राज्य सरकारों की प्रवृत्ति से बचाना चाहिए।
8. पुलिस एवं राजस्व सेवाओं का सहयोग सुनिश्चित किय जाना चाहिए।
9. साधारण जनता की समस्याओं के निवारणार्थ पंचायतों की अधिकार एवं साधन प्रदान किए जाने चाहिए। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में लोगों की अधिकाधिक समस्याएँ लाई जानी चाहिए। ताकि लोग अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान प्राप्त कर सकें।
10. प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर मितव्ययता बरतनी चाहिए।
11. जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कर्मचारियों में अनुशासन स्थापित करने

तथा उनसे काम लेने हेतु प्रभावपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसके ठीक ऊपर के उस अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिए जिसके अधीन वे कार्य कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

12. जिला स्तर के अधिकारियों को समूह भाव अर्थात् टीम भावना के साथ कार्य करना चाहिए। उनका प्रमुख दायित्व जिला परिषद् पंचायत सरकारी नीतियों एवं निर्देशों के अनुसार तकनीकी दृष्टि से सुव्यवस्थित योजनाएं बनाने तथा उनकी क्रियान्विति में सहायता प्रदान करना है।
13. जिला परिषद् को सौंपे जा सकने योग्य कार्य एवं परियोजनाएँ राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् को सौंप दिए जाने चाहिए। पंचायत समितियों में वे परियोजनाएं वापिस ले लेनी चाहिए जो जिला परिषद् स्तर पर अधिक कुशलतापूर्वक क्रियान्वित की जा सकती है।
    - सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ 1952 में किया गया।
    - सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में 1958 में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रयोग के तौर पर कुछ भाग में लागू किया गया।
    - पंचायती राज व्यवस्था का अंगीकरण सर्वप्रथम राजस्थान राज्य द्वारा नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था।
    - 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्रमशः पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
    - वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है ग्राम स्तर पर ग्राम सभाएं प्रखण्ड स्तर पर जिला परिषद् एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में प्रखण्ड स्तर अनिवार्य नहीं है।
    - भारत में पंचायती राज के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2009–10 को केन्द्रीय सरकार ने ग्राम सभा वर्ष घोषित किया।
    - ग्रामीणों को शीघ्र न्याय पहुंचाने हेतु ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को 2 अक्टूबर 2009 से लागू कर दिया गए है।
    - सर्वप्रथम 2005 मे बिहार सरकार ने राज्य की पंचायत संस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। तत्पश्चात् उत्तराखण्ड कर्नाटक एवं राजस्थान ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की उद्घोषणा की।

उपरिलिखित शर्तों एवं सुझावो को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकारों, राज्य सरकारों, गैर–सरकारी सगठनों, प्रशासन, समचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन तथा बुद्धिजीवियों सभी के सहयोग की आवश्यकता है। पंचायती राज की सफलता केवल ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सक्रियता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु यह देश में लोकतंत्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल तथा राजनैतिक समाजीकरण के लिए भी उचित साधन के रूप में

लगभग अनिवार्य है। इसलिए आवश्यक है कि पहले की तरह पंचायती राज को ग्रामीण स्तर पर सत्त संघर्ष का अखाड़ा और विशिष्ट वर्गों के हाथों का खिलौना न बनने दें तथा देश में उचित लोकतांत्रिक वातावरण के विकास के लिए इसका संभावित उपयोग करें।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त विषमताओं को काबू करने के लिए सत्ता के सबसे निचले पायदान पर जन सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और साथ ही इन संस्थाओं में परिदर्शिता की जानी चाहिए, जिसके लिए इन संस्थाओं के प्रति जन जागरूकता आवश्यक है, तभी वास्तविक सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक स्थानीय संस्थाओं की स्थापना, हो सकेगी क्योंकि वर्तमान व्यवस्था का लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रायरू लुप्त होता जा रहा है। अतरू प्रशासनिक तनाव का समाप्त करना अत्यावश्यक है।

संदर्भ

1. *के० पी० जैसवाल, हिन्दी पोलिटी, कोलकाता 1942*
2. *जी० ई० स्टॉक इंटरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज भाग 16 मैंकमिलन न्यूयॉर्क 1968*
3. *निर्मला मुखर्जी तीसरा स्तर इकनोमिक एंड पोलिटिकल 1 मई 1993*
4. *एच० डी० मालवीय विलेज पंचायत इन इंडिया आर्थिक और राजनीतिक शोध विभाग अखिल भारतीय कांग्रेस समिति नई दिल्ली 1956*
5. *आर० एल० खन्ना पंचायती राज इन इंडिया का इंग्लिश बुक डिपो अम्बाला छावनी 1972*
6. *डॉ० सरोज बाला चोपड़ा स्थानीय प्रशासन राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी रायपुर 1993*
7. *डॉक्टर संध्या जोशी स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था के सिद्धांत एवं भारत तथा विदेशी में स्थानीय संस्थाओं के प्रकार ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भोपाल*
8. *डॉ० हरिश्चन्द्र शर्मा भारत एवं विदेशों में स्थानीय शासन कॉलेज बुक डिपो जयपुर*
9. *डॉ० महादेव प्रसाद शर्मा लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार किताब महल नई दिल्ली*
10. *सिन्हा एवं सिन्हा लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद*
11. *डॉ० के० सी० पंत राजस्व लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा*
12. *डॉ० एस. आर. माहेश्वरी भारत में स्थानीय शासन लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पुस्तक प्रकाशन आगरा।*